कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्र. 505/स्था.वि./न.पा.नि./2024, रायगढ़, दिनांक 19.09.202

//आदेश//

श्री इंद्रमणि तिवारी पिता श्री पी.एन. तिवारी प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को कार्यालयीन पत्र क्र. 589/02/स्था./न.पा.नि./2015, रायगढ़ दिनांक 15.01.2015 के द्वारा प्रथम नियुक्ति किया गया। उक्त के परिपालन में श्री इंद्रमणि तिवारी के द्वारा दिनांक 15.01.2015 को कार्य–भार ग्रहण किया गया।

2.श्री इंद्रमणि तिवारी, प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ माह जनवरी 2021 से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बार–बार पत्राचार एवं जनकर्म समाचार पत्रिका एवं हरिभूमि समाचार पत्रिका में उपस्थित होने हेतु पेपर प्रकाशन किया गया।

3.कार्यालयीन पत्र क्र. 813/स्था.वि./न.पा.नि./2021, रायगढ़ दिनांक 30.11.2021 के द्वारा बार–बार पत्राचार के माध्यम से श्री इंद्रमणि तिवारी प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ (छ.ग.) को माह जनवरी 2021 से कार्य में उपस्थित न होने के कारण कार्यालय में जिला चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्वयं अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु श्री इंद्रमणि तिवारी के द्वारा उचित कारण प्रस्तुत न करते हुए कार्यालय में उपस्थित होना नहीं पाया गया। जिसके कारण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 तथा नगर पालिक निगम, भर्ती सेवा शर्ते (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) के तहत् श्री इंद्रमणि तिवारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ के विरूद्ध विभागीय जाच का निर्णय लिया गया।

4.**आरोपः**– कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2023/स्था.वि./न.पा.नि./2021, रायगढ़ दिनांक 15.01.2021, कार्यालयीन पत्र क्रमांक 648/स्था.वि./न.पा.नि./2021, रायगढ़ दिनांक 20.09.2021 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 672/स्था.वि./न.पा.नि./2021, रायगढ़ दिनांक 01.10.2021 के द्वारा लगातार जनवरी 2021 से कार्यालय में अनुपस्थित होने के कारण उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए कार्यालय में उपस्थित होना नहीं पाया गया।

5.विभागीय जांच प्रतिवेदन अनुसारः– श्री इंद्रमणि तिवारी, प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के विभागीय जांच के दौरान उपस्थित होने हेतु बार–बार पत्राचार किया गया। किन्तु श्री इंद्रमणि तिवारी न ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए और न ही अपने पक्ष रखने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अतएव गवाहों, निष्ठा उपस्थिति पत्रक एवं अभिलेखों के अनुसार श्री इंद्रमणि तिवारी, जनवरी 2021 से अपने कर्तव्य से लगातार 03 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित है।

अतः छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग(नियम शाखा) मंत्रालय, महानदी भवन,नवा रायपुर अटल नगर द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2024/1–3, नवा रायपुर, दिनांक 14/05/2024 के कंडिका 5 अनुसार वित्त निर्देश 49/2013 के अनुसार " कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के, वाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करे
परंतु इन प्रावधानों को लागू करने के पूर्व उस शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।"

वित्त निर्देश 15/2018 द्वारा शासकीय सेवकों के निरंतर अनुपस्थिति/अवकाश की अवधि को पांच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किया गया है।

इस प्रकरण में वित्त निर्देश क्रमांक 49/2013 क्रमांक 320/एफ 2013-01-00099/वि/ नि/चार दिनांक 01 अगस्त, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री इन्द्रमणी

तिवारी, प्रेष्य को कर्त्तव्य पर उपस्थित होने अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। कर्त्तव्य पर उपस्थित होने हेतु समाचार पत्रों में भी सूचनाओं का प्रकाशन कराया गया है। उसके बावजूद भी वे न तो अपना कोई पक्ष प्रस्तुत किये है और माह जनवरी 2021 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, जो कि 03 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित है। इसलिए उपरोक्त निर्देशानुसार अनाधिकृत अनुपस्थिति को त्याग पत्र मानते हुए श्री इंद्रमणि तिवारी, प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को पद से पदच्युत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

19.9.24

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

पृष्ठा. क्र. 505 /स्था.वि./न.पा.नि./2024, रायगढ़ दिनांक 19-09-2024

प्रतिलिपिः–

1. मान. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ
5. प्रोग्रामर, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को नगर पालिक निगम, रायगढ़ के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
6. स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
8. कार्या.अधी./लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
9. सर्व विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. श्री इन्द्रमणी तिवारी,, पताः– सिविल लाईन सेवाकुंज मार्ग, रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एव पालनार्थ।
10. सूचना पटल में चस्पा हेतु।

19.9.24

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

23/9/24